LOK SABHA

Thursday, April 26, 1979/Vaisakha 6, 1901 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

WELCOME TO THE SURINAME PARLIAMENTARY DELEGATION

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, at the outset, I have to make an announcement.

On my own behalf and on behalf of the Hon'ble Members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. E. L. A. Wijntuin, President of the Parliament of Suriname and the Hon'ble Members of the Suriname Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests.

The other Hon'ble Members of the delegation are:—

1. Mr. J. Lachmon, M.P.
2. Mr. R. Nooitmeer, M.P.
3. Mr. J. H. Adhin, M.P.
4. M. T. Ahmad Ali, M.P.
5. Mr. M. Th. J. Bean, M.P.
6. Mr. E. F. Vriesde, M.P.

The delegation arrived here on Tuesday, the 24th April, 1979 in the forenoon. They visited Agra on the 25th April.

The delegates are now seated in the Special Box. Through them we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Suriname.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शाह आयोग से प्राप्त मामले

*890. श्री श्याम लाल धुर्वे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में ऐसे कुल कितने मामले हैं जो मंत्रालय को शाह आयोग से प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामलों में अभी जांच पड़ताल की जानी है;

(ग) इस बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इन मामलों के निपटान के लिए क्या निश्चित समय-सीमा रखी गई है; और

(घ) यदि इन मामलों के बारे में विभागीय रूप से जांच पड़ताल न की जाए तो क्या इन मामलों को विशेष न्यायालयों को भेजने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधुदण्डवते) : (क) शाह आयोग से प्राप्त 1197 मामले जुलाई 1978 और दिसम्बर 1978 के बीच सम्बन्धित रेलों को भेजे गये थे ।

(ख) 787 ।

(ग) और (घ). शाह जांच आयोग से प्राप्त मामले आवश्यक जांच-पड़ताल के लिए पहले ही सम्बन्धित क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को भेजे जा चुके हैं। हालांकि इस प्रकार की जांच-पड़ताल के काम में तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, किन्तु ऐसी जांच-पड़ताल के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि इस प्रकार की जांच-पड़ताल काफी विस्तृत होने की संभावना होती है ।

श्री श्याम लाल धुर्वे : मध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि भाग (ख) का उत्तर ठीक नहीं दिया गया है ।

MR. SPEAKER: He has said that—how many cases have been investigated and how many cases are under investigation.

श्री श्याम लाल धुर्वे : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जायेगी ताकि सही जांच हो सके और लोगों को न्याय मिल सके वरना कभी शासन के दबाव में आकर अधिकारी भी सही जांच नहीं कर सकेंगे और लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कब तक का समय निर्धारित कर सकेंगे और कब तक लोगों को न्याय दे सकेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, 1197 केसेज में से 410 केसेज में जांच पूरी हो गई है और आवश्यक कार्यवाही भी की गई है । समय की पाबन्दी इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि शाह आयोग के काम को देखें तो इतने बड़े पैमाने पर केसेज आए थे जांच करने के लिए और कई मर्तबा विटनेस को भी बुलाना पड़ता है । ऐसी हालत में मैं इतना ही आश्वासन इस सदन को देना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमारी रफ्तार भी आप देखेंगे कि 1197 में से 410 केसेज का काम पूरा किया है और उस पर कार्यवाही भी की है ।

श्री श्याम लाल धुर्वे : अध्यक्ष महोदय, अभी तक 1197 में से 410 मामले ही निपटाए गए हैं,अधिकतर मामले अभी तक पेंडिंग हैं । यदि जांच की यही गति रही तो जल्दी लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। लम्बे अर्से तक जांच चलने पर इसमें बहुत सी गड़बड़ियां पैदा होंगी जिसके कारण लोगों को उचित न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इसके लिए कौन सा मार्ग अपना रहे हैं जिससे कि लोगों को जल्दी न्याय प्राप्त हो सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक ही प्रश्न का दो मर्तबा जवाब नहीं दे सकता हूं, पहले मैंने उसका जवाब दे दिया है ।

श्री राघवजी : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 410 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है उनमें कौन से अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? इसके अलावा जो शेष मामले हैं उनकी जांच कौन से अधिकारी कर रहे हैं और क्या उनको स्पेशल कोर्टस् में भेजेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : जो हमारे पास शिकायतें आई थीं वह ऐसी शिकायतें थीं जिनमें शाह आयोग ने समझा कि इनमें कोई बुनियादी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इन मामलों की जांच प्रशासन के स्तर पर रेलवे भी कर सकती है । वे केसेज थे—

victimisation, sterilization, transfers, removal from service, withholding, promotions, reversions, removal of encroachment on Railways, premature retirement.

इस प्रकार के केसेज थे । जो 410 मामले हैं उनकी सारी फेहरिस्त तो मैं इस समय नहीं दे सकता हूं ।

श्री राघवजी : कितने अधिकारी दोषी पाए गए थे ?

प्रो० मधु दण्डवते : 410 केसेज जो हैं उसमें सम्बन्धित लोगों का विविटमाईजेशन वगरह किया गया था, उनको वापिस लिया गया है, उनके प्रीमेच्योर रिटायरमेन्ट को समाप्त किया गया है । उसमें अधिकारियों को दोषी ठहराने का कोई सवाल नहीं है । लेकिन यह जो काम हुआ था वह गलत हुआ था और उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: One of the complaints mentioned by the Minister was forcible sterilization. Now, wherever forcible sterilization had taken place, does the Minister propose to re-connect the same so that they may go on producing as many children as they like?

MR. SPEAKER: This does not arise.

Capital contribution to State Road Transport Corporation of Madhya Pradesh

*891. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Board provides capital contribution to State Road Transport Corporations in the ratio of 2:1 according to the provisions of Section 23 of the Road Transport Corporation Act, 1950;

(b) if so, what are the arrears of such capital contribution to be paid to the State Road Transport Corporation of Madhya Pradesh; and

(c) if so, when would the above arrears be cleared?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Yes, Sir.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the hon. Minister inform the House whether there is any proposal under consideration of the Railways